

Witness No.---01-----for---अभियोजन साक्षी -----Deposition taken
the---31.12.2024---day of---मंगलवार---Witness's apparent age- 56 वर्ष---

States on affirmation---शपथपूर्वक-----my name is-----लेखपाल
यदु-----Son of---स्व श्याम लाल यदु ----- occupation -----खेती
किसानी---address-----नवागांव, ग्राम गहिरा, तह-साजा, जिला बेमेतरा छ०ग०-----

समय 03.37 बजे से

मुख्य परीक्षण राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ

- 01- साक्षी को गिरफ्तारी पत्रक में चस्पित आरोपीगण कैनाबाई, इंद्राणी बाई पारधी, अघनू पारधी का फोटो दिखाकर पूछे जाने पर जानना एवं पहचानना व्यक्त किया है, क्योंकि वह हमारे पंचायत के गांव के निवासी है। मैं प्रार्थी मनोहर साहू को जानता पहचानता हूं।
- 02- घटना आज से लगभग 05-06 वर्ष पूर्व की है। मैं वर्ष 2016 में कैना बाई, इंद्राणी और अघनू से मकान खरीदा था। इसके अतिरिक्त मुझे और कोई जानकारी नहीं है। आज मुझे न्यायालय में किस संबंध में गवाही देने के लिये बुलाये है इसके मुझे जानकारी नहीं है। प्रकरण के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस वालों ने मुझसे पूछताछ कर कोई बयान नहीं लिया था।

टीप :- इसी स्तर पर अभियोजन अधिकारी द्वारा सूचक प्रश्न पुछने की अनुमति चाही गई विचार उपरांत अनुमति प्रदान की गई।

- 03- साक्षी को उसका पुलिस कथन प्रदर्श पी-01 के अ से अ भाग का अंश "मैं ग्राम सुवरतला... .. बना हुआ है" को पढकर सुनाये जाने पर ऐसा कथन देने से इंकार किया है। यह कहना गलत है कि मैं अभियुक्तगण को जानता पहचानता हूं तथा उसे बचाने के लिये आज न्यायालय में सही बात को नहीं बता रहा हूं।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री अजीज हुसैन अधिवक्ता वास्ते आरोपी

04- यह कहना सही है कि मैं आज किसी भी भूमि के खरीदी के संबंध में कोई दस्तावेज लेकर उपस्थित नहीं हुआ हूं और न ही मैंने कोई दस्तावेज पुलिस को दिया है।

समय:-03.47 बजे तक।

वाचित, शुद्ध, स्वीकृत।

मेरे निर्देशन में टंकित।

सही/-

(विकास खाण्डे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला-रायपुर (छ०ग०)

सही/-

(विकास खाण्डे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला-रायपुर (छ०ग०)

गवाह के हस्ताक्षर- सही/-